न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-01 बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः- सोनाली प्रशांत शर्मा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण सं.: 43/2026

सीआईएस नम्बरः 80/2026

प्रभात चौहान आयु 20 साल पुत्र भरत सिंह निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0) ----प्रार्थी-अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, बयाना ----अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 77/2026 पुलिस थाना, रुदावल अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 (6), 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम।

उपस्थितः

1. श्री विकास गोयल अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमप्रकाश तिवारी, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

:आदेशः

दिनांक 10.03.2026

1. अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 बीएनएसएस के तहत जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

2. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र में यह तर्क है कि अभियुक्त को इस प्रकरण में मिलीभगत कर झूंठा फंसाया गया है उसका इस मामले से किसी प्रकार का कोई सम्बंध एवं सरोकार नही है। उसकी धारा 480 बीएनएसएस के तहत प्रस्तुत जमानत दरख्वास्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय से खारिज हो चुकी है। प्रार्थी-अभियुक्त नवयुवक है तथा छात्र है जो वर्तमान में राजस्थान पैरा मैडिकल की पढाई कर रहा है उसके पास किसी प्रकार का कोई अवैध हथियार पिस्टल व कारतूस नहीं थे, जो बरामदगी दिखाई गई है वह झूंठी है उससे बरामदगी होने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्व ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान हो। सभी गवाहान परिवादी पक्ष के है जिनको टैम्परविद किये

जाने की कोई संभावना नहीं है। वह न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पेश करने को तैयार है। अतः उसे जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। जबकि अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की बहस की।

3. तर्कों पर मनन किया गया तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार से हैं कि दिनांक 26.02.2026 को समय 05.19 पीएम पर श्री छत्रपाल सिंह कांस्टेबल 1748 पुलिस थाना, रुदावल को जरिये मुखविर सूचना मिली कि एक सफेद कलर की बलेनो कार नम्बर आर.जे. 29 सीसी-1696 जो खेरिया मोड की तरफ आ रही है जिसमें दो लड़के बैठे हुए है जिनके पास हथियार है इस सूचना पर एएसआई वीरेन्द्रसिंह मय जाप्ता श्री घनश्याम सिंह, सहायक उप निरीक्षक, छोटूसिंह एचसी 1632, बबलूसिंह कांस्टेबल 2084, मनोज कुमार कांस्टेबल 2012 के मय सरकारी बोलेरो चालक श्री छत्रपाल सिंह, कांस्टेबल 1748 मय अनुसंधान बॉक्स मय असलाह के थाने से रवाना होकर गश्त जरीला करते हुए खेरिया मोड चौराहे पर पहुँचें जहाँ हमराही जाप्ता के साथ नाकाबंदी की गई। इसी दौरान पुनः जरिये मुखबिर सूचना मिली कि उक्त बलेनो गाडी अभी झील चौराहा से खेरिया मोड को आने वाले रास्ते पर आ रही है। इस सूचना पर मन एएसआई मय हमराही जाप्ता मय सरकारी वाहन के रवाना होकर सादपुरा पाटोर से थोड़ा आगे झील चौराहे को जाने वाले रास्ते पर समय 06.25 पीएम पर पहुंचा जहां मन एएसआई हमराही जाप्ता के साथ नाकाबंदी कर रहा था, नाकाबंदी के दौरान समय करीब 06.35 पीएम पर एक सफेद कलर की कार आती हुई दिखाई दी, जिसे हमराही जाप्ता की मदद से रुकवाया गया तो गाड़ी बलेनो नम्बर आर.जे.29 सीसी 1696 जिसके सम्बंध में पूर्व में अवैध हथियार के सम्बंध में सूचना प्राप्त हुई है। गाडी बलेनो की ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने उसका नाम प्रभात चौहान पुत्र श्री भरतसिंह उम्र 23 साल निवासी हन्तरा थाना लखनपुर जिला भरतपुर होना बताया। ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति की तलाशी छत्तरपाल कांस्टेबल 1748 से लिवाई गई तो शक्स के जीन्स के पैन्ट की दांहिनी ऑट में एक अवैध देशी पिस्टल 32 बोर एवं पैंट की दांहिनी जेब में एक जिन्दा राउण्ड 32 बोर का मिला। शक्स प्रभात चौहान की पेन्ट की बांयी जेब में एक रेडमी कम्पनी का एन्ड्रोइड मोबाईल रंग काला मिला एवं ड्राईवर की बगल वाली आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने उसका नाम अजीत पुत्र होती उम्र 22 साल निवासी हन्तरा पुलिस थाना, लखनपुर जिला भरतपुर

होना बताया जिसकी तलाशी हमराही जाप्ता में से बबलू कुमार कांस्टेबल 2084 से लिवाई गई तो शक्स अजीत की जींस की पेन्ट की दांहिने आंट में से एक अवैध देशी पिस्टल 32 बोर व दांहिनी जेब में 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर का मिला। शक्स अजीत के पेन्ट की बांयी जेब में एक वीवो कम्पनी का एनड्राइड मोबाईल रंग हल्का सुनहरा मिला। दोनों शक्सों के कब्जे से मिली बलेनो गाडी रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे.-29 सीसी-1696 की तलाशी ली गयी तो गाडी के चारों तरफ डैक्स बोर्ड में एक अवैध देशी पिस्टल .32 बोर की रखी हुई मिली। उक्त व्यक्ति प्रभात चौहान, अजीत से उनके कब्जे में भारी मात्रा में अवैध देशी पिस्टल व कारतूस रखने के सम्बन्ध में लाईसेन्स अनुज्ञा-पत्र मांगा तो किसी ने भी उनके पास कोई लाईसेन्स/अनुज्ञापत्र होना नहीं बताया एवं उक्त व्यक्तियों ने बताया कि इन पिस्टलों को उन्होनें पवन पुत्र गिरसी निवासी खेडली मोबाइल नम्बर 7568551671 से खरीद कर लाए है और विकास पुत्र मुरारी निवासी महलपुरचूरा पुलिस थाना, रुदावल को बेचने के लिए जा रहे है। विकास ठाकुर उनका पूर्व से परिचित है। इसको वह पहले भी पिस्टल बेच चुके है। उक्त शक्सान के कब्जे से मिली बलेनो कार रजिस्ट्रेशन नम्वर आर.जे.-29 सीसी-1696 के कागजात मांगे तो उनके पास कोई कागजात नहीं होना बताया एवं प्रभात चौहान ने उसकी स्वयं की गाड़ी होना बताया। इस प्रकार उक्त व्यक्तियों प्रभात चौहान, अजीत का बिना लाईसेन्स/अनुज्ञापत्र के उनके कब्जे में भारी मात्रा में अवैध पिस्टल व कारतूस रखना एवं पूर्व में संगठित रूप से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करना अपराध धारा 3/25 (6), 25 (1ख) (क) आर्म्स एक्ट में आना पाया गया। मौके पर कार्यवाही हेतु रास्ते में आने जाने वाले राहगीरी से गवाह बनने के लिये कहा गया तो कानूनी अडचनों की वजह से कोई भी व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ ऐसी सूरत में हमराही जाप्ता में से छोटूसिंह हैड कांस्टेबल 1632, छतरपाल कांस्टेबल 1748 व कांस्टेबल बबलू कुमार नम्बर 2084 को गवाह मामूर किया गया। उक्त व्यक्ति प्रभात चौहान, अजीत के कब्जे से मिली एक अवैध देशी पिस्टल 32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्त कर एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर शीलमौहर कर मार्क-ए अंकित किया गया तथा शक्स अजीत के कब्जे से मिले 01 अवैध देशी पिस्टल .32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्त कर एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर शील्डमौहर कर मार्क-बी अंकित किया गया तथा इसी प्रकार गाडी बलेनो रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे.29 सीसी-1696 के डैसबोर्ड में मिली एक अवैध पिस्टल .32 बोर को बतौर बजह सबूत जरिये फर्द जप्ती पृथक से

जब्त किया जाकर एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क-सी अंकित किया जाकर तीनों शील्ड पैकेटों मार्क-ए, बी व सी को कब्जे पुलिस लिया गया। गाड़ी बलेनो रजिस्ट्रेशन नम्बर को बतौर वाहन उक्त व्यक्तियों द्वारा अपराध में उपयोग लिया जाने पर जरिये फर्द जप्ती के जप्त किया जाकर कब्जे पुलिस लिया गया। उक्त व्यक्तियों प्रभात चौहान पुत्र भरतसिंह, अजीत पुत्र होती को गिरफ्तारी के कारणों व संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुये नियमानुसार जरिये पृथक-2 गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की जामा तलाशी के दौरान मिले मोबाईल फोन को अनुसंधान हेतु चालू रखा गया। मौके पर समस्त कार्यवाही की ई-साक्ष्य ऐप से वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गई जिसकी एसआईडी नम्बर 2404152626699154 है। मौके से बाद कार्यवाही के मन एएसआई मय हमराही जाप्ता मय जप्तशुदा आर्म्स एम्यूनेशन शील्ड पैकेट मार्क- ए, बी व सी व जप्तशुदा गाडी बलेनो तथा गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के रवाना होकर वापस थाना आये। जिस पर यह प्रकरण पंजीबद्ध हुआ।

5. केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी-अभियुक्त का पूर्व का कोई ऑपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त ने संगठित अपराध का सदस्य होते हुए उसके जींस के पेंट की दांहिनी आंट में उसके कब्जे से .32 बोर की देशी पिस्टल तथा एक जिंदा राउंड .32 बोर तथा कब्जेशुदा बलेनो गाडी आर.जे.-29 सीसी 1696 की बांयी तरफ डैक्स बोर्ड में एक अवैध देशी पिस्टल .32 बोर रखी हुई मिलने तथा उन्हें दीगर व्यक्ति को विक्रय करने से धारा 3/25 (6), 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप है। प्रार्थी-अभियुक्त को इस प्रकरण में दिनांक 26.02.2026 को गिरफ्तार किया गया है तभी से इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने तथा अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है तब तक उसे न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी-अभियुक्त प्रभात चौहान आयु 20 साल पुत्र भरत सिंह निवासी ग्राम हंतरा पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर (राज0) की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन धारा 483 बीएनएसएस पुलिस थाना रुदावल की प्राथमिकी संख्या 77/2026 में स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से पच्चीस हजार रूपये की मौतबिर जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका इस प्रकरण की प्रत्येक

तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी संतुष्टि का पेश कर स्वीकृत व तस्दीक करादे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

7. आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जावे।

(सोनाली प्रशांत शर्मा)

8. आदेश आज दिनांक 10.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनाली प्रशांत शर्मा)